उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को कैंटीन सुविधा

3376. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों को कैन्टीन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कैन्टीनें किन-किन स्थानों पर उपलब्ध कराई गई हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमु): (क) और (ख) जी, हां। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों को 18 कैंटीनों जोकि सभी ग्राहकों को कैन्टीन स्टोर विभाग का सामान बेचती हैं और 6 कैन्टीनों, जो कि केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं, के एक नेटवर्क के माध्यम से कैन्टीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए) दूर-दराज के क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों के घरों के आस-पास खोले जाने वाले चिकित्सा शिविरों में भी कैंटीन सामान उपलब्ध कराया जाता है।

विवरण

जिला	कैंटीनों की अवस्थिति
1. अल्मोड़ा	अल्मोड़ा, चौबटिया, घिंघरीवाल
2. उत्तरकाशी	हरसिल
3. नैनीताल	नैनीताल, हलद्वानी, कमोला
4. पीलीभीत	चरमा, धारचूला, चम्पावल, नरेन्द्र नगर
5. पौड़ी	लैंसडौन, कोटद्वार
6. चमोली	गौचर, जोशीमठ, रुद्रप्रयाग
7. देहरादून	देहरादून, रायवाला

उन कैंटीनों की अवस्थिति जो केवल भूतपर्व सैनिकों के लिए खोली गई हैं

1. पौड़ी
2. बोगेश्वर
3. थालीसैंण
4. चौखुटिया
5. कर्ण प्रयाग
6. टेहरी

Fixing norms for military jawans

3377. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the number of military jawans required in the country as per norms fixed in this regard and the representation of various States in the military at present;

(b) whether Government have formulated any scheme to minimise the gap between their requirement and availability;

(c) whether military jawans are required to protect the boundaries of the country as well as to assist during the domestic emergencies;

(d) if so, Government's policy in this direction; and

(e) the number of Training Centres in Gujarat for imparting training to military jawans and whether there is any proposal to open new training centres in the State during 1996-97?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI N.V.N. SOMU): (a) to (c) The number of Junior Commissioned Officers/Other Ranks authorised in the Army as on 31 December, 1996 is 10,45,560. Details of statewise representation are not maintained.

There is no problem in recruitment of Junior Commissioned Officers/Other Ranks in the Indian Army. Adequate number of recruits are presently under training.

The Militry Jawans are statutorily required to protect the boundaries of the country as well as to assist the civil authorities during internal security disturbances with the approval of the Government.